EO

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2009/आश्विन 16, 1931
No. 577] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2009/ASVINA 16, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 732(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन अधिकारी और सहायक प्रवर्तन अधिकारी (श्रेणी III पदों) भर्ती नियम, 1974 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) ये नियम प्रवर्तन निदेशालय (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 कहे जाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक के रूप में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतभूर्व सैनिकों और अन्य और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	चयन अथवा अचयन पद	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रवर्तन अधिकारी	104* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	7500-250 12,000 रु.	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)	(12)
75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तथा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	**पदोन्नति :** प्रवर्तन निदेशालय में नियुक्त उन सहायक प्रवर्तन अधिकारियों (रुपये 6500-200-10,500) में से जिन्होंने उक्त ग्रेड में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हो । **टिप्पणी :** जहां कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है उनकी उच्चतर श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, **प्रतिनियुक्ति :** (क) निम्नलिखित श्रेणियों में से : (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क/सीमा शुल्क के निवारक अधिकारी जिन्होंने अपने ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो । (ii) पुलिस, केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठन (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित) के निरीक्षक जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो ।

(12)
(iii) आयकर के निरीक्षक जिन्होंने अपने ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु) (1) प्रवर्तन निदेशक —अध्यक्ष (2) विशेष/अपर प्रवर्तन निदेशक —सदस्य (3) उप सचिव/निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं ।

[फा. सं. 2/1/2007-प्रशासन ई डी]

प्रिया वी. के. सिंह, निदेशक

टिप्पणी : प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन अधिकारी और सहायक प्रवर्तन अधिकारी (श्रेणी "III" पदों) के भर्ती नियम, 1974 को भारत के राजपत्र में दिनांक 20 जुलाई, 1974 को 4 जुलाई, 1974 की सं. सा.का.नि. 753 के तहत प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2009

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Enforcement, Enforcement Officer and Assistant Enforcement Officer (Class III posts) Recruitment Rules, 1974 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment of Group 'B' post in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Directorate of Enforcement (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. —These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.— The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special catagories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Enforcement Officer	104* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	7500-250-12000	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
(i) 75% Promotion failing which by Deputation (ii) 25% Deputation	**Promotion :** From amongst Assistant Enforcement Officers (Rs. 6500-200-10,500) in the Directorate of Enforcement with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

(12)

Deputation:

(A) From amongst the following categories :

(i) Inspector of Central Excise/Customs/Preventive Officer of Customs with three years' service in the grade.

(ii) Inspector of Police, Central or State Police Organizations (including Central Bureau of Investigation) with three years service in the grade.

(iii) Inspector of Income Tax with three years service in the grade.

The Departmental officers in the feeder category who are in the Direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a DPC exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)		(14)
Group 'B' DPC (for considering promotion)		Consultation with UPSC is not necessary
1. Director of Enforcement	—Chairperson	
2. Special/Additional Director of Enforcement	—Member	
3. Deputy Secretary/Director, Department of Revenue, Ministry of Finance	—Member	

[F. No. 2/1/2007-Ad. ED]

PRIYA V. K. SINGH, Director

Note: The Directorate of Enforcement, Enforcement Officer and Assistant Enforcement Officer (Class III posts), Recruitment Rules, 1974 were published in the Gazette of India dated the 20th July, 1974, *vide* number G.S.R. 753 dated the 4th July, 1974.

3854 GI/09-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.